

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर  
रजलास कुमार पाल गौतम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर

सूक्रदमा संख्या 83/18 विविध

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड (DHFL) 302/5 तृतीय तल जयपुर टावर, एम.  
आई. रोड, जयपुर राज. जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

: ब न अ म :

1. श्री गोपाल राम डेलू निवासी हरियाण भवन के सामने, पटेल नगर, खसरा नम्बर 574/43  
बीकानेर
2. श्रीमती सुवा देवी डेलू निवासी हरियाण भवन के सामने, पटेल नगर, खसरा नम्बर 574/43  
बीकानेर

-अप्रार्थीगण




सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल  
एसेट्स एण्ड एनफॉर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002

उपस्थिति:-

- 1 प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह राजपुरोहित उपस्थित।
- 2 अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री प्रेम विरनोई हाजिर नहीं।



: आ दे श :

दिनांक 14.05.2019

प्रार्थी कंपनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उनके अधिवक्ता के कथनानुसार संक्षिप्त तथ्य  
यस प्रकार है कि अप्रार्थी/ऋणी को प्रार्थी कंपनी द्वारा रुपये 8,22,514/- की ऋण सुविधा  
दिनांक 16.07.2013 को प्राप्त की थी एवं उक्त ऋण की एवज में अप्रार्थीगण की सम्पत्ति स्थित  
पटेल नगर, हरियाणा भवन के सामने ख.नं.574/43 शिवबाड़ी, बीकानेर तादादी 5801.25  
वर्गफुट को प्रार्थी कंपनी के हक में उक्त ऋण के पेटे साम्यिक बंधक रखा गया था। अप्रार्थीगण  
द्वारा अनुबंध के नियमानुसार ऋण राशि नहीं चुकाये जाने पर अप्रार्थी गण/ऋणी के खाते को  
दिनांक 01.07.2016 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थीगण/ऋणी के खाते में  
रुपये 8,54,577/- दिनांक 14.10.2016 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का  
ब्याज व अन्य खर्च कंपनी के बकाया निकलते हैं। अप्रार्थीगण/ऋणी/जमानती को धारा  
13(2) के तहत दिनांक 14.07.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये। परन्तु इसके पश्चात् माननीय  
न्यायालय में दायर इस प्रार्थना-पत्र की दिनांक तक अप्रार्थी/ऋणी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं  
करवाई व ना ही बंधक शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी कंपनी को दिया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी  
द्वारा प्रार्थी कंपनी के हक में बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 14 के तहत  
प्रार्थी कंपनी को दिलाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थी कंपनी द्वारा इस प्रार्थना-पत्र के समर्थन में  
अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी कंपनी के इस प्रार्थना-पत्र पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जा कर प्राकृतिक न्याय  
के मान्य सिद्धान्तों की पालना में अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दौराने  
बहस कोई उपस्थित नहीं आया। प्रकरण में इकतरफा बहस सुनी गई।

जिला कलक्टर, बीकानेर

3. प्रार्थी/कंपनी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी कंपनी द्वारा अप्रार्थीगण/ऋणी को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी। ऋण सुविधा प्राप्त करने के बाद अप्रार्थीगण/ऋणी बकाया राशि चुकाने में विफल रहे हैं। इस पर अप्रार्थीगण/ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिये जाने के बावजूद भी बकाया राशि प्रार्थी कंपनी के यहां जमा नहीं करवाई गई है। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थी कंपनी के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा प्रार्थी कंपनी के यहां से ऋण के रूप में उपर्युक्त ऋण सुविधा प्राप्त की थी। प्राप्त ऋण सुविधा की एवज में अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा पैरा संख्या 1 में उल्लेखित सम्पत्ति साम्यिक बंधक रखी गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बकाया सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है। बकाया राशि जमा करवाये जाने के संबंध में प्रार्थी कंपनी द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को नोटिस जारी किये गये। इसके पश्चात् भी अप्रार्थीगण ऋण राशि को अनुबंध के अनुसार वापिस जमा करवाने में विफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उक्त ऋण की एवज में पैरा नम्बर 1 में वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी कंपनी के यहां बंधक है को प्रार्थी कंपनी अपने कब्जे में लेने की अधिकारणी है। इस परिपेक्ष्य में प्रार्थी कंपनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

5. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थीगण/ऋणी, प्रार्थी/कंपनी के साथ हुए अनुबंध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहे हैं। अतः प्रार्थी/कंपनी के प्रार्थना-पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण/ऋणी व्यतिक्रमी मानते हुए प्रार्थी/कंपनी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पैरा संख्या 1 में वर्णित बंधक रखी गई सम्पत्ति का पजेशन प्रार्थी/कंपनी को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी/कंपनी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। इस आदेश की सूचना प्रार्थी कंपनी अप्रार्थीगण को देवें।

6. आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को हमारे द्वारा लिखवाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कुमार पाल गौतम)  
जिला मजिस्ट्रेट एवं  
जिला कलक्टर, बीकानेर